प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– 1861 /पि0व0क0/2015–16 लखनऊ दिनांक 23 नवम्बर, 2015

विषय– शैक्षणिक सत्र 2015–16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11 व 12 तथा ग्रुप–1, 2, 3, व 4 में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण हेतु संशोधित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शैक्षणिक सत्र 2015–16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11 व 12 तथा ग्रुप–1, 2, 3, व 4 में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु शासन के पत्र संख्या–649/64–2–2015 दिनांक 19 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में निम्नवत् संशोधित समय–सारिणी निर्गत की जाती है–

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	कक्षा–11 व 12 के छात्रों हेतु संशोधित तिथि	समूह–1,2,3 व 4 (कक्षा–11 व 12 को छोड़कर) के छात्रों हेतु संशोधित तिथि
1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना	15 अप्रैल से 31 जुलाई, 2015 तक	01 जुलाई से 30 सितम्बर, 2015 तक
2	ऑनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किया जाना	01 अगस्त से 10 अगस्त, 2015 तक	01 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 2015 तक
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/ छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 17 अगस्त, 2015 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 17 अक्टूबर, 2015 तक
4	शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	15 अप्रैल से 22 अगस्त, 2015 तक	01 जुलाई से 24 अक्टूबर, 2015 तक
5	शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम एवं वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना	15 अप्रैल से 25 अगस्त, 2015 तक	01 जुलाई से 25 अक्टूबर, 2015 तक
6	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना	26 अगस्त, से 25 अक्टूबर, 2015 तक	30 नवम्बर, 2015 तक

7	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	31 अक्टूबर, 2015 तक	10 दिसम्बर, 2015 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं शुद्ध डाटा के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना	07 नवम्बर, 2015 तक	20 दिसम्बर, 2015 तक
9	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना	16 नवम्बर, 2015 तक	10 जनवरी, 2016 तक
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना	25 नवम्बर, 2015 तक	15 जनवरी, 2016 तक
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	10 दिसम्बर, 2015 तक	31 जनवरी, 2016 तक

कृपया उपरोक्त संशोधित समय–सारिणी के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या: 1861 /पि0व0क0/2015–16 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0–2
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. श्री आलोक वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, ऑडीटर पी0एफ0एम0एस0, भारत सरकार।
5. समस्त उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(पुष्पा सिंह)
निदेशक।